# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर (हनुमानगढ़)

(पीठासीन अधिकारी भागीरथ शाख आर.ए.एस.)

निगरानी प्र0 सं0 01/2021

1. लालसिंह पुत्र भाणाराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– प्रार्थी

बनाम्

1. महेन्द्र सिंह पुत्र छबीलाराम बैनीवाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. सतपाल पुत्र हरिशचन्द्र जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. कालुराम पुत्र श्री रावताराम जाति सुथार निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. ग्राम पंचायत परलीका जरिये सरपंच ग्राम पंचायत परलीका तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

6. किशनलाल पुत्र पोकरराम जाति जांगिड़ निवासी परलीका तहसील नोहर।
7. रामदेव पुत्र सेडुराम वर्मा जाति कुम्हार निवासी परलीका तहसील नोहर।

–तरतीबी अप्रार्थीगण

निगरानी विरूद्ध निर्णय प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर दिनांक 05.12.2019 अपील संख्या 35/2019

उपस्थितिः– श्री हवासिंह पुनियां अधिवक्ता, प्रार्थी

श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता, अप्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

## निर्णय

**दिनांक : 01.02.2022**

संक्षेप में निगरानी प्रार्थी की ओर से निम्न प्रकार से हैं :–

1. निगरानी कृत निर्णय दिनांक 05.12.2019 विधि विरूद्ध तथ्यों के विपरित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने के वजह से निरस्त योग्य है।
2. अप्रार्थी न0 1 ता 3 ने अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति नोहर में एक अपील पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत परलीका की आबादी भूमि में एक सार्वजनिक प्रयोजनार्थ एक स्थल आरक्षित है जहां जलदाय विभाग, चिकित्सा विभाग, कृषि विभाग के कार्यालय, कर्मचारियों के आवास, बालिका विधालय, पंचायत घर, मन्दिर गोगाजी निर्मित है व कुछ जगह जनसभा व धार्मिक कार्यकर्मो के आयोजन के लिए ग्रामवासीयों द्वारा उपयोग उपभोग में जी जा रही है जिसको ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 30.05.1987

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित किया है जिस पर दिनांक 14.10.2019 को रेस्पोडेन्ट न. 3 सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित जगह पर 90 गुणा 75 फुट पर कब्जा करने लगा तो पटटो की जानकारी हुई एवं पटटो को निरस्त करवाने के लिए अपील पेश कर दी गई।

3. निगरानीकर्ता रेस्पोडेन्ट न0 3 ने मातहत अदालत में उपस्थित आकर जवाब अपील पेश किया की अपीलाधीन पटटा सुदा भुखण्ड उसका किमतन जरिये बैयनामा दिनांक 10.07.1997 व 09.10.2019 को खरीद सुदा है जिस पर काबिज चला आ रहा है जो जगह सार्वजनिक कार्यो के लिए आरक्षित नही है पटटे ग्राम पंचायत द्वारा किमतन जारी किये जो विधि अनुसार सही है जिसका अपीलांट को ज्ञान था 30 वर्षो बाद अपील राजनैतिक पार्टीबाजी की वजह से पेश की जो मियाद बाहर पेश होने के कारण खारिज योग्य थी उसके बावजूद भी मातहत अदालत द्वारा विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है।

4. ग्राम पंचायत परलीका से दिनांक 20.06.1989 को निलामी में किशनलाल पुत्र पोकरराम जाति जांगिड़ निवासी परलीका ने साईज 45 गुणा 75 फुट का प्लाट खरीद किया था एवं इसके बदल रकम 416 रूपये ग्राम पंचायत ने प्राप्त कर रसीद संख्या 83 दिनांक 07.07.1989 को खरीददार को दी व वरवक्त कब्जा प्लाट खरीददार को दे दिया गया था व इसी प्रकार ग्राम पंचायत परलीका से दिनांक 22.06.1989 को निलामी में रामदेव पुत्र सेडुराम वर्मा निवासी परलीका ने साईज 45 गुणा 75 फुट का प्लाट खरीद किया था एवं इसके बदले रकम 416 रूपये ग्राम पंचायत ने प्राप्त कर रसीद संख्या 82 दिनांक 07.07.2019 को खरीददार को दी व वरवक्त कब्जा प्लाट खरीददार को दे दिया गया। उक्त खरीददार किशनलाल ने अपना प्लाट जरिये बैयनामा रजिस्ट्री दिनांक 10.07.1997 को प्रार्थी लालसिंह को बेचान कर दिया तथा पटटाधारी रामदेव ने अना प्लाट जरिये बैयनामा रजिस्ट्री दिनांक 07.10.2000 को धर्मचन्द पुत्र चुन्नीलाल जाति सुनार निवासी परलीका को बेचान कर दिया व उसके बाद धर्मचन्द पुत्र चुन्नीलाल ने उक्त प्लाट जरिये बैयनामा रजिस्ट्री दिनांक 09.10.2019 को प्रार्थी लालचन्द को बेचान कर दिया और प्रार्थी के उपयोग उपभोग में चला आ रहा है उक्त पटटो की 30 बर्षो बाद राजनैतिक पार्टीवाजी की वजह से अपील पेश हुई जो किसी भी प्रकार से चलने योग्य नही थी उसके बावजूद भी मातहत अदालत द्वारा अपील स्वीकार कर पटटे

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

निरस्त किये गये है इसलिए मातहत अदालत द्वारा विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है।

5. अपीलकृत पटटे ग्राम पंचायत ने नियम 271 के तहत दिनांक 22.06.1989 को आवश्यक सभी कार्यवाही हर आम व खास को सुनकर निलामी में रामदेव पुत्र सेडुराम व किशनलाल पुत्र पोकरराम के पक्ष में जारी किये थे पटटा जारी होने के पश्चात पटटाधारक उक्त प्लाटों पर काबिज हो गये और जरिये बैयनामा उक्त प्लाटों को खरीदकर प्रार्थी काबिज दाखिल है। उक्त दोनों प्लाटों का ग्राम पंचायत परलीका की रोकड़ बही में जमा राशि का रिकार्ड उपलब्ध है। जरिये निलामी आम में खरीदशुदा व पटटे की रूह से जरिये बैयनामा रजिस्ट्री प्रार्थी मालिक व काबिज है उसके बावजूद भी विधि विरूद्ध निर्णय पारित कर पटटे खारिज किये है इसलिए मातहत अदालत द्वारा विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है।

6. प्रार्थी ने उक्त पटटाशुदा दोनो प्लाटों को जरिये बैयनामा उप पंजीयक नोहर से तस्दीक करवाकर विधिक रूप से खरीद किया है तथा अपने खरीदशुदा दोनों प्लाटों पर काबिल चला आ रहा है इसलिए प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर ने मनमाने व स्वैच्छाचारिता पूर्ण तरीके से विधि विरूद्ध निर्णय पारित कर पटटे खारिज किये है इसलिए मातहत अदालत द्वारा विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है।

7. अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर ने निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली का गहन अवलोकन नही किया है यदि पत्रावली का अवलोकन कर निर्णय किया जाता है तो इस प्रकार का निर्णय करने की आवश्यकता नही होती इसलिए निर्णय विधि सम्मत नहीं होने के कारण खारिज योग्य हैं।

8. पंचायत कि किसी निर्णय के खिलाफ अपील की मियाद 30 दिन है जबकि यह अपील 30 साल बाद पेश की गई थी जो मियाद बाहर पेश की गयी है क्योंकि अपीलांटस भूखण्डों को रोज देखते थे जिसका अपीलांट को बखुबी ज्ञान था तथा पंचायत समिति द्वारा अपने पारित इस निर्णय में मियाद बिन्दु पर कोई आदेश नही दिया है इसलिए अपील मियाद बाहर है जो काबिल खारिजी के है तथा यह अपील ग्राम पंचायत के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत नही की गई है क्योंकी निर्णय तो ग्राम पंचायत का प्रस्ताव होता है जिसके आधार पर पटटा जारी किया जाता है जो कि कागज पटटा इसलिए

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)

पटटा के खिलाफ कोई अपील पेश नही की जा सकती इसलिए यह पंचायत समिति का फैसला काबिल खारिजी के है।

9. अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 जिनके द्वारा पंचायत समिति में यह अपील पेश की गई है किसी भी प्रकार से पीडित पक्षकार नही है तथा निगरानीकर्ता के पटटो से इसको कोई नुकसान नही हो रहा था इसलिए इसे कानूनी अपील करने का अधिकार नही था इसलिए यह निर्णय विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है।

10. प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति पंचायत समिति का निर्णय कानून सम्मत नही है सिर्फ राजनैतिक पार्टी वाजी की वजह से आपसी रंजिश होने के कारण सिर्फ सम्भावना के आधार पर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

11. अपीलांटस गांव परलीका के किसी भी सार्वजनिक संस्था, कमेटी के सदस्य नही है इसलिए उनको किसी भी प्रकार से अपील पेश करने का अधिकार प्राप्त नहीं है उसके बावजूद भी इतने पुराने रिकार्ड को नजर अन्दाज कर सिर्फ राजनैतिक दवाब में आकर एक पक्षीय व बिना मौका देखे प्रार्थी को सुनवाई का मौका दिये बिना पारित निर्णय विधि संगत नही होने के कारण निरस्त योग्य है।

12. अपीलांट ने 2 पटटो की एक अपील पेश की है जबकि कानूनी स्थिति के मुताबिक 2 पटटो की अलग अलग अपील पेश होनी चाहिए एवं अपील के साथ निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी होनी आवश्यक है जो पेश नही कि गई है उक्त दोनों आधारों पर अपील खारिज योग्य थी उसके बावजूद भी मनमानें व स्वैच्छाचारिता पूर्ण तरीके से विधि विरूद्ध निर्णय पारित कर पटटे खारिज किये है इसलिए मातहत अदालत का विधि विरूद्ध निर्णय निरस्त योग्य है।

13. विवादित भूखण्ड प्रार्थी लालचन्द के उपयोग उपभोग में चले आ रहे है उक्त पटटो की 30 वर्षो बाद राजनैतिक पार्टीबाजी की वजह से अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति नोहर में अपील पेश हुई जिसमें दिनांक 18.10.2019 को स्थगन आदेश जारी कर दिया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमान अदालत में दिनांक 10.12.2019 को निगरानी पेश की उसके बाद कोरोना वायरस के कारण लोक डाउन होने के कारण तारीख पेशी चलती रही अब दिनांक 27.01.2021 को पत्रावली का अवलोकन किया तो पता चला की अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर ने दिनांक 05.12.2019 को पिछे की तारीख में अपील का फैसला कर दिया है फैसला की

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

जानकारी होते ही बिना किसी देरी के निगरानी पेश की जा रही है जो ज्ञान से अन्दर मियाद है।

लिहाज निगरानी पेश कर अर्ज है कि निगरानी स्वीकार कर निर्णय दिनांक 05.12.2019 निरस्त कर अपील खारिज करने का आदेश फरमावें।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी की तलबी की गई। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने निगरानी मीमों में उल्लेखित बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 22.06.1989 को निलामी में सबसे उंची बोली देने वाले किशनलाल पुत्र पोखरराम व रामदेव पुत्र सेडुराम को आवासीय पटटा जारी किया गया। किशनलाल ने अपना पटटा लालसिंह को बेचान कर दिया एवं रामदेव ने धर्मचन्द को बेचान कर दिया। उसके बाद धर्मचन्द ने अपना पटटा लालचन्द को बेचान कर दिया जो कि लालसिंह के कब्जे व उपयोग एवं उपभोग में चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय में की गई अपील में अपीलांट प्रभावित पक्षकार नही है तथा दो पटटो की एक ही अपील पेश की है। अपील मियाद बिन्दु पर भी खारिज योग्य थी। निगरानी स्वीकार कर पटटे यथावत रखें। हमारी निगरानी को अंतिम निर्णय के खिलाफ कोरोना की वजह से अन्दर मियाद मानी जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया की विवादास्पद पटटो की भूमि का बेचान रामदेव ने धर्मचंद को बेचान कर दिया एवं धर्मचंद ने लालसिंह को कर दिया व अन्य किशनलाल ने लालसिंह को बेचान कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम के ही तीन व्यक्तियों द्वारा अपील प्रस्तुत की गई थी। विवादास्पद भूमि 03.05.1987 को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित की गई थी। उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन की थी। निलामी हेतु खाली नही थी। पटटे गैर कानूनी रूप से जारी किये गये है। ग्राम पंचायत में पटटा संबंधी कोई रिकार्ड नही है। पत्रावली रोकड़ बुक आदि नही थे। नियम 255 व 270 की पालना नही किये बिना नियम विरूद्ध पटटे जारी किये गये है। उक्त पटटो की जानकारी होने पर अपील पेश की। अवैध कार्यवाही के खिलाफ कभी भी अपील की जा सकती है। पूर्व में भी माननीय हाई कोर्ट में ऐसे पटटे खारिज हुए है। सभी पटटे एक दिन में जारी हुए है। निगरानीकर्ता का उक्त भूखण्ड पर कब्जा नहीं है नियमानुसार 2 माह में निर्माण आवश्यक होता है। जगह एक ही होने के कारण दोनो पटटो की एक ही अपील पेश की गई है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने DNJ 2008 V–2 पेज

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

न0 797 व DNJ 2018 V–2 पेज न0 497, DNJ 2015 V–4 पेज न0 1853, DNJ 1999 पेज न0 672, 2019 V–1 सीजे पेज न0 230, 2020 (1) RRT पेज न0 566 के दृष्टांत प्रस्तुत कर निवेदन किया की निगरानी खारिज फरमावें।

अधिवक्ता प्रार्थी ने पुनः बहस में निवेदन किया की आबादी भूमि पंचायत की होती है, पंचायत को ऐसे पटटे जारी करने का अधिकार है। मेरे पटटे की भूमि निलामी हेतु उपलब्ध थी। निलामी की रसीद हमने पेश की है। माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे पटटे खारिज नही किये है। जो पटटे खारिज हुए है जो अलग जगह व अलग व्यक्तियों के जारी किये गये है। एक दिन में कई पटटे जारी हो सकते है। 2 माह में निर्माण करने की शर्त निःशुल्क जारी पटटो पर लागू होती है, निलामी में क्रय किये गये पटटो पर लागू नही होती है। अतः निगरानी स्वीकार की जावें।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अध्ययन किया। उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रश्नगत पटटो से संबंधित भूखण्डों की निलामी प्रकिया, पटटे जारी करने से संबंधित रिकार्ड एवं पटटो में वर्णित भूखण्डों के सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आरक्षण एवं उपयोग के संबंध में पूर्ण जांच नही हुई है।

अतः निगरानी प्रार्थी आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर का निर्णय दिनांक 05.12.2019 अपास्त किया जाकर निगरानी इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रश्नगत पटटो से संबंधित भूखण्डों की निलामी प्रकिया एवं पटटे जारी करने सबंधी समस्त रिकार्ड यथा पत्रावली, रोकड़ बही, रसीद आदि एवं पटटो में वर्णित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षण व उपयोग के संबंध में पूर्ण जांच कर एवं पक्षकारान् को सुनवाई का अवसर देते हुए तथा पक्षकारान की मौजुदगी में मौका निरीक्षण कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावें।

अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटायी जावें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हों। निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 01.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01/02/2022

(भागीरथ शाख आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official